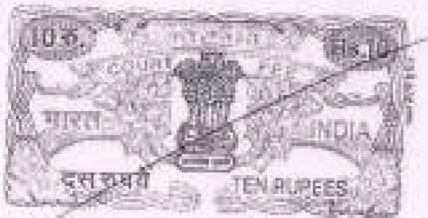

10×1-10 Rs

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
455 / 24/8/13	26/8/13	26/8/13	[signature]

नकल आदेश दिनांक 3/5/13
वाद सं० 17 धारा 143 ज० वि० अ०
न्यायालय उप जिलाधिकारी सकलडीहा चन्दौली
मौजा - आमाजाफुर प० म० टाडुन त० सकलडीहा चन्दौली
शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय
आमाजाफर चन्दौली बजरिये प्रबन्धक ज्ञान प्रकाश सिंह
बनाम
सरकार

[signature]
P.T.O 3/5/13

न्यायालय - उप जिलाधिकारी सकलडीहा, चन्दौली।

वाद संख्या (?)

अन्तर्गत धारा-143ज0वि0अधि0
मौजा-आवाजापुर, परगना-महाईच, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली।

शहीद कैप्टन विजयप्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर चन्दौली द्वारा प्रबन्धक जयप्रकाश सिंह-----------------बनाम-----------------सरकार

निर्णय

शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर, चन्दौली द्वारा प्रबन्धक जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोक सिंह निवासी ग्राम आवाजापुर परगना महाईच, तहसील सकलडीहा, जिला चन्दौली द्वारा धारा 143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा आवाजापुर, परगना महाईच, तहसील सकलडीहा के आ0नं0331/0.510हे0 व 332/0.524हे0 का बैनामा विक्रेतागण क्रमशः विरेन्द्र, राजेन्द्र पुत्रगण बर्जुन से कराकर प्राप्त किया। उक्त आराजियात में महाविद्यालय का भवन बन चुका है और शिक्षण कार्य होता है, इस आराजियात में कृषि कार्य नहीं होता है, पूर्णरूपेण आबादी हो चुकी है। अन्त में निवेदन किया गया है कि सन्दर्भित आराजियात को आबादी श्रेणी 6(2) घोषित करने का कष्ट करें, ताकि न्याय होवे। प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतौनी सं0 1416फ0लगा0 1421फ0 मौजा आवाजापुर, परगना महाईच, तहसील-सकलडीहा खाता सं0343 गाटा सं0 332/0.524हे0 व खाता सं0435 गाटा सं0331 रकबा0.510हे0 एवं नकल खसरा संलग्न है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार सकलडीहा से करायी गयी। तहसीलदार ने क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से जाँच कराकर निर्धारित प्रारूप पर आख्या प्रस्तुत की है। उक्त तहसीलदार की आख्या दिनांक 01/7/11 में उल्लिखित किया गया है कि बाउण्ड्री में सागौन के पेड़ लगे है। दौरान मुकदमा प्रार्थी के अधिवक्ता विजयप्रताप सिंह द्वारा इस आशय का प्रा0-पत्र प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मौके के विपरित रिपोर्ट लगायी गयी है। इसकी पुनः जाँच तहसीलदार सकलडीहा से कराकर कार्यवाही की जाय। जिसपर तहसीलदार सकलडीहा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 11-4-13 प्रस्तुत की है, जिसमें उल्लि-किया गया है कि मौजा आवाजापुर स्थित आ0नं0331/0.510हे0 व आ0नं0432/0.524 के स्थलीय निरीक्षण में दोनों आराजी मौके पर सम्मिलित भूमि है, जिसमें विद्यालय भवन बना है एवं छाया हेतु सागौन के पेड़ लगाये गये है। कोई कृषि कार्य नहीं होता है। क्षेत्रीय लेखपाल का बयान कराया गया है, जिसमें लेखपाल द्वारा विवादित भूमि में 5साल पूर्व से विद्यालय कायम होना बताया गया है।

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन/परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल-खतौनी से स्पष्ट है कि वादी प्रश्नगत आराजियात को बैनामा के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर राजस्वअभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के खाते में नाम अंकित है। तहसीलदार सकलडीहा की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजियात पर विद्यालय व विद्यालय की बाउण्ड्री, पेड़ लगे है। इसपर कृषि कार्य नहीं होता है। इसकी पुष्टि लेखपाल ने भी अपने बयान में किया है। इसप्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

सकलडीहा, जिला चन्दौली में स्थित आ0नं0 331/0.510हे0 व आ0नं0332/0.524हे0 लगान खाते से खारिज कर गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार सकलडीहा को भेजी जाय एवं एक प्रति निःशुल्क निबन्धन हेतु उप निबन्धक सकलडीहा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल-दफ्तर होवे। ---------------

दिनांक :

उप जिलाधिकारी,
सकलडीहा।

(हस्ता0)

आज्ञा0 उप जिलाधिकारी
सकलडीहा चन्दौली
26/8/13